न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **133/14 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2014/00192

अनवान्

1. श्री लाला उर्फ लालुराम पिता गांगा डांगी (काई) निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर। (मृतक)

1/1 श्री भेरूलाल पिता लाला उर्फ लालुराम डांगी (काई) निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

1/2 श्रीमती लीला पिता लाला उर्फ लालुराम पत्नी डालु डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।

1/3 श्रीमती सोहनी पिता लाला उर्फ लालुराम पत्नी लच्छीराम डांगी निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

1/4 श्रीमती नानीबाई पिता लाला उर्फ लालुराम पत्नी यशवन्त डांगी निवासी वल्लभनगर तह. वल्लभनगर।

1/5 मु. नकाबाई पत्नी लाला उर्फ लालुराम डांगी (काई) निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता लाला डांगी (वातडा) निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर।
2. मु. उदी बेवा गांगा डांगी (काई) निवासी महाराज की खेडी तह. वल्लभनगर। (तर्क किया)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 12.09.2024

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कुण्डाल तह. मावली की आराजी नम्बर 2973, 2977, 2978 किता 3 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा स्थित हैं।
2. कि उक्त आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 के खातेदारी एंव आधिपत्य की है। जो प्रार्थी व उसके पिता गांगा जी को भूमिहीन काश्तकार होने से व पुराना कब्जा होने से तारिख 30/4/1977 को नियमन की [illegible] जरिये नामान्तरकरण नम्बर 956 से गैर खातेदारी हक से दर्ज की गयी है, व नियमान्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

3. कि वक्त सेटलमेन्ट जो खसरा बनाया गया उस समय गांगा पिता मोती, लाला पिता गांगा डॉगी के बजाय गांगा, लाला पिता मोती डॉगी, के नाम से इन्द्राज कर दिये जाने से पटवारी हल्का ने भी जो तहसीलदार को प्रतिवेदन दिया वो भी इसी आधार पर गांगा, लाला पिता मोती डॉगी के नाम दे दिया व तहसील पत्रावली में भी जो कार्यवाही चली गांगा, लाला पिता मोती के नाम से चलकर उसी नाम से नियमन किए जाने से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी गांगा, लाला पिता मोती के नाम से खोला जाकर स्वीकृत कर दिया गया व इसी आधार पर खातेदारी दी गयी जिससे जमाबन्दी में भी यही इन्द्राज कर दिया गया जो इसी तरह चल रहा है । जबकि वास्तव में गांगा पिता मोती लाला पिता गांगा डांगी है। गांगा व लाला दोनों पिता पुत्र है यानि लाला पुत्र है व गांगा पिता है। गांगा के पिता का नाम मोती है अतः राजस्व रेकर्ड में गागा पिता मोती व लाला पिता गांगा अंकित होना चाहिए। गांगा, लाला पिता मोती गलत अकंन किया गया है। गांगा व लाला भाई नाम के कोई व्यक्ति नही है बल्कि गांगा पिता व लाला पुत्र है।

4. कि उक्त आराजीयात में गांगा पिता मोती का 1/2 हिस्सा लाला पिता गांगा का 1/2 हिस्सा होकर गांगा व लाला काबिज चले आ रहे है व गांगा की मृत्यु बाद गांगा की पत्नी उदीबाई विपक्षी नम्बर 2 व गांगा का पुत्र लाला प्रार्थी काबिज चले आ रहे है। जिससे उक्त आराजी मे प्रार्थी का 3/4 हिस्सा व विपक्षी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व प्रतिादी नम्बर 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ आ रहे है। विपक्षी नम्बर 1 का उक्त आराजी में कोई सम्बन्ध नही है न विपक्षी नम्बर 1 का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार है।

5. कि विपक्षी नम्बर 1 के पिता लालू जी की मृत्यु होने पर विपक्षी नम्बर 1 ने लाला के वारिसान में विपक्षी देवीलाल पिता लाला व सरसी पत्नी लाला होना बताया व सरसी को फोत होना बताकर उक्त आराजी का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1 देवीलाल ने अपने नाम खुलवा स्वीकृत करा लिया है जो गलत है। उक्त आराजीयात के सहखातेदार लाला पिता मोती नही होकर लाला पिता गांगाजी डांगी है। लाला पिता मोती गलत अंकन हुआ है। गलत अंकन के आधार पर विपक्षी नम्बर 1 की नियत में फितूर आने से विपक्षी नम्बर 1 ने प्रार्थी की उक्त आराजी को हडपने की नियत से पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम तारिख 19/10/2010 को नामान्तरकरण नम्बर 547 खुलवा स्वीकृत करवा लिया है जो गलत है। विपक्षी नम्बर 1 के पिता लालू की मृत्यु तारीख 30/4/1992 में हुई है व लालू पिता मोती की मृत्यु बाद विपक्षी नम्बर 1ने मौजा महाराज की खेडी की आराजी का नामान्तरकरण नम्बर 670 तारीख 14/6/1995 को अपने नाम स्वीकृत करा लिया है।

6. यह कि प्रार्थीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

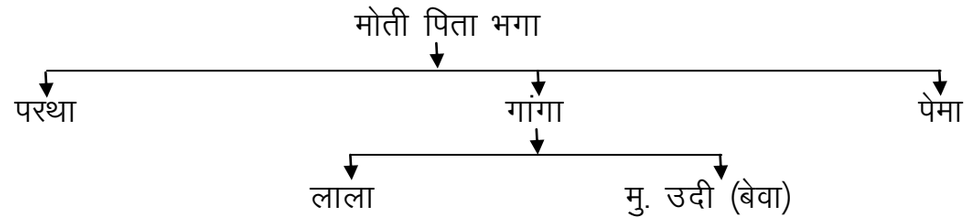

उक्त सजरे में बताये गये व्यक्ति जाति से डांगी होकर मात्र काई हैं।

इसी तरह विपक्षी नम्बर 1 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

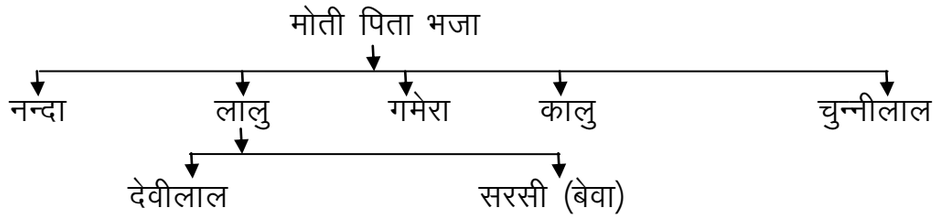

उक्त सजरे मे बताये गये व्यक्ति की जाति से डांगी होकर गोत्र वातडा हैं।

7. कि गांगा पिता मोती की मृत्यु होने पर मौजा कुण्डाल की आराजी का विरासत का नामानतरकरण गांगा के वारिसान प्रार्थी व विपक्षी नं. 2 के नाम खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसके नामान्तरकरण नं. 1874 तारीख 6/6/2014 है तथा मौजा महाराज की खेडी में स्थित आराजीयात के सम्बन्ध में गांगा पिता मोती की मृत्यु बाद गांगा पिता मोती का विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी व विपक्षी नं. 2 के नाम खोला जाकर स्वीकृत किया गया है जिसके नामान्तरकरण नंम्बर. 1081 तारीख 14/2/2008 है। प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 जाति डांगी होकर गोत्र काई है।

8. कि विपक्षी नम्बर 1 ने अपने पिता लालू की मृत्यु होने पर मौजा महाराज की खेडी की आराजी का विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलावा स्वीकृत कराया है, जिसके नामान्तरकरण नम्बर. 670 तारीख 14/6/1995 है। इस नामान्तरकरण में लालू की पत्नी सरसी बताया है व सरसी का फोत होना बताया गया है। विपक्षी नं. 1 जाति डांगी होकर गोत्र वातडा है। प्रार्थी लाला के पिता गांगा है व गांगा के दो भाई परथा व पेमा है यानि परथा गांगा, पेमा पिता मोती है व गागां की पत्नी का नाम उदीबाई है जो विपक्षी नं. 2 है। इस तरह प्रार्थी व विपक्षी नंम्बर 1 अलग अलग खानदान के व्यक्ति है तथा प्रार्थी की जायदाद में विपक्षी नम्बरं. 1 का कोई हक व अधिकार नही है। कि विपक्षी नम्बरं. 1 देवीलाल के पिता का नाम लालू है लेकिन सरपंच से मिलकर जो सजरा विपक्षी नम्बर 1 ने जो बनवाया है उसमें लाला पिता मोती के वारिस विपक्षी नम्बर 1 बनकर गलत सजरा बनवाया है व इस सजरे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

कराया है जो भी गलत है। सजरा फर्जी व बनावटी है व इसके आधार पर विपक्षी नम्बर 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है।

9. कि विपक्षी नम्बर 1 यह जान रहा है कि उक्त वाद की कलम नं. 1 में मौजा कुण्डाल तहसील मावली में जो आराजीयात स्थित है जो प्रार्थी व उसके पिता गांगा जी के खातेदारी व आधिपत्य की है व गांगा की मृत्यु बाद प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त आराजीयात में विपक्षी नम्बर 1 के पिता लालू पिता मोती का कोई हक व अधिकार नही है फिर भी प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से पटवारी हल्का से सांठ–गांठ कर राजस्व रेकर्ड में किए गए गलत अकन यानि गांगा, लाला पिता मोती का नाजायज लाभ उठाने की नियत से लाला पिता मोती की मृत्यु हो जाना बताकर लाला पिता मोती के वारिस स्वयं को एवं सरसी को बताते हुएँ सजरा प्रमाणित करा व झूठा शपथ पत्र पेश कर नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया है। जिसके नामान्तरकरण नम्बर 547 तारीख 20/10/2010 है। जबकि विवादित भूमि के खातेदार गांगा पिता मोती व लाला पिता गांगा है, लाला पिता गांगा के बजाय लाला पिता मोती गलत अंकन हो गया है तथा लाला पिता गांगा की मृत्यु नहीं हुई हैं। लाला पिता गांगा जीवित है जो प्रार्थी है।

10. कि विपक्षी नम्बर 1 ने प्रार्थी की उक्त आराजी को हडपने की नियत से झुठा शपथ पत्र पेश किया है लाला पिता मोती की मृत्यु दिनांक 30/4/1992 को होना बताते हुएँ पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तरकरण खुलवा स्वीकृत करवाया है जो बदनियती से कराया गया है तथा इस नामान्तरकरण का अमल दरामद कराया जाकर विपक्षी नम्बर 1 ने विवादित आराजी में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुएँ मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा वल्लभनगर, के रहन रख दी है व नाजायज तरीके से ऋण प्राप्त किया है, अपने काम में लिया है जबकि विपक्षी नम्बर 1 का उक्त आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है न कब्जा ही है, न विपक्षी नम्बर 1 के अपने नाम दर्ज कराने का ही अधिकार है। विपक्षी नम्बर 1 ने ऋण लेकर ऋण का दाखला राजस्व रेकर्ड में लगवाया है ताकि प्रार्थी अपनी उक्त आराजी किसी के रहन, बेह नही कर सके। विपक्षी नम्बर 1 यह भी जान रहा था कि राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज गांगा, लाला पिता मोती के नाम से किया गया है वह गलत अकंन हो गया है व वास्तव में गांगा पिता मोती व लाला पिता गांगा है। गांगा व लाला दोनो पिता पुत्र है जिसका सम्मन विपक्षी नम्बर 1 के पिता (लालू पिता मोती) से कोई सम्बन्ध नही है । विपक्षी नम्बर. 1 के पिता लालू के कोई भाई नही है जबकि कथित इन्द्राज में गांगा व लाला को भाई दर्शा दिया गया है जो गलत है। लाला व गांगा भाई नही होकर पिता पुत्र है तथा लाला व गांगा की जायदाद से विपक्षी नम्बर 1 का कोई लेना देना नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

11. कि विपक्षी नम्बर 1 ने उक्त आराजी अपने नाम गलत इन्द्राज करायी है व गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी नम्बर 1 अपनी बता प्रार्थी को बेदखल करने व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिस पर प्रार्थी ने तारीख 14/6/2014 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल ली तो मालुम हुआ कि उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज है व इस हिस्से को विपक्षी नम्बर 1 ने मेवाड ऑचलिंक ग्रामीण बैंक शाखा वल्लभनगर के रहन होने का दाखला लगा हुआ है। जिस पर प्रार्थी ने इसके पुर्व की जमाबन्दी व अन्य रेकर्ड की नकलें निकलवायी तो मालुम हुआ कि विवादित भूमि में लाला पिता मोती का 1/2 हिस्सा बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1 ने अपने नाम खुलवा स्वीकृत करा लिया है। जो गलत है क्योकि विपक्षी नम्बर 1 के पिता लालू का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा नही था न विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1 के नाम हल्का से सांठ–गांठ कर राजस्व रेकर्ड में किए गए गलत अकन यानि गांगा, लाला पिता मोती का नाजायज लाभ उठाने की नियत से लाला पिता मोती की मृत्यु हो जाना बताकर लाला पिता मोती के वारिस स्वयं को एवं सरसी को बताते हुएँ सजरा प्रमाणित करा व झूठा शपथ पत्र पेश कर नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया है। जिसके नामान्तरकरण नम्बर 547 तारीख 20/10/2010 है। जबकि विवादित भूमि के खातेदार गांगा पिता मोती व लाला पिता गांगा है, लाला पिता गांगा के बजाय लाला पिता मोती गलत अंकन हो गया है तथा लाला पिता गांगा की मृत्यु नहीं हुई हैं। लाला पिता गांगा जीवित है जो प्रार्थी है।

12. कि विपक्षी नम्बर 1 ने प्रार्थी की उक्त आराजी को हडपने की नियत से झुठा शपथ पत्र पेश किया है लाला पिता मोती की मृत्यु दिनांक 30/4/1992 को होना बताते हुएँ पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तरकरण खुलवा स्वीकृत करवाया है जो बदनियती से कराया गया है तथा इस नामान्तरकरण का अमल दरामद कराया जाकर विपक्षी नम्बर 1 ने विवादित आराजी में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुएँ मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा वल्लभनगर, के रहन रख दी है व नाजायज तरीके से ऋण प्राप्त किया है, अपने काम में लिया है जबकि विपक्षी नम्बर 1 का उक्त आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है न कब्जा ही है, न विपक्षी नम्बर 1 के अपने नाम दर्ज कराने का ही अधिकार है। विपक्षी नम्बर 1 ने ऋण लेकर ऋण का दाखला राजस्व रेकर्ड में लगवाया है ताकि प्रार्थी अपनी उक्त आराजी किसी के रहन, बेह नही कर सके। विपक्षी नम्बर 1 यह भी जान रहा था कि राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज गांगा, लाला पिता मोती के नाम से किया गया है वह गलत अकंन हो गया है व वास्तव में गांगा पिता मोती व लाला पिता गांगा है। गांगा व लाला दोनो पिता पुत्र है जिस से विपक्षी नम्बर 1 के पिता (लालू पिता मोती) से कोई सम्बन्ध नहीं है। विपक्षी नम्बर 1 के पिता लालू के कोई भाई नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

जबकि कथित इन्द्राज में गांगा व लाला को भाई दर्शा दिया गया है जो गलत है। लाला व गांगा भाई नही होकर पिता पुत्र है तथा लाला व गांगा की जायदाद से विपक्षी नम्बर 1 का कोई लेना देना नही है।

13. कि विपक्षी नम्बर 1 ने उक्त आराजी अपने नाम गलत इन्द्राज करायी है व गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी नम्बर 1 अपनी बता प्रार्थी को बेदखल करने व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिस पर प्रार्थी ने तारीख 14/6/2014 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल ली तो मालुम हुआ कि उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा विपक्षी नम्बर 1 के नाम दर्ज है व इस हिस्से को विपक्षी नम्बर 1 ने मेवाड ऑचलिंक ग्रामीण बैंक शाखा वल्लभनगर के रहन होने का दाखला लगा हुआ है। जिस पर प्रार्थी ने इसके पुर्व की जमाबन्दी व अन्य रेकर्ड की नकलें निकलवायी तो मालुम हुआ कि विवादित भूमि में लाला पिता मोती का 1/2 हिस्सा बताते हुए विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1 ने अपने नाम खुलवा स्वीकृत करा लिया है। जो गलत है क्योकि विपक्षी नम्बर 1 के पिता लालू का विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा नही था न विरासत का नामान्तरकरण विपक्षी नम्बर 1 के नाम खोला जाकर स्वीकृत किया जा सकता था लेकिन पटवारी की सांठ गांठ से गलत सजरा बना गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया है, व गलत इन्द्राज के आधार पर विपक्षी नम्बर 1 प्रार्थी को जबरन बेदखल करने व विकय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारी की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है व विपक्षी नम्बर 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दं कराया जाना आवश्यक है वरना विपक्षी नम्बर 1 प्रार्थी के कब्जे में बेजा दखलअन्दाजी करेगा व जबरन कब्जा कर लेगा व अन्य को विकय हस्तान्तरण कर देगा जिससे प्रार्थी को बडा भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ति किसी भी तरह से नही की जा सकेगी।

14. कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है।

15. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी नंम्बर 1 के विरूद्ध, इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वो प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नही करें, न जबरन कब्जा करें, न किसी को विक्रय हस्तान्तरण ही करें, प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 2 को शान्तिपूर्वक उपयोग – उपभोग करने देवें । किसी प्रकार का कोई दखलअन्दाजी नही करें, मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

16. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 फौत होने से विपक्षी सं. 2 का नाम पूर्व [illegible] किया जा चुका हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा

जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा विपक्षी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है इसी हक एवं हिस्से अनुसार प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है वादग्रस्त जायदाद में 1/2 हक हिस्सा विपक्षी के पिता लाला पिता मोती डांगी को आंवटित हुई थी। लाला पिता मोती डांगी जो विपक्षी सं. 1 का दादा होकर उक्त आंवटी प्रार्थी का दादा 1/2 हिस्से पर अपने जीवन काल में काश्त करते रहे है तथा उसके बाद विपक्षी सं. 1 बतौर खातेदारी हक से काबिज होकर काश्त करवाता आ रहा है इस तरह वादग्रस्त जायदाद में हक हिस्से तक प्रार्थी का कोई अधिकार हक व कब्जा नहीं हैं। वादग्रस्त जायदाद में विपक्षी सं. 1 के दादा को 1/2 हक हिस्सा नियमित हुई थी, लेकिन आंवटन पत्र एक ही जारी हो जाने से प्रार्थी ने यह वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है आवंटन आदेश मे भी गांगा, लाला पिता मोती डांगी का इन्द्राज है यानि कि वादग्रस्त जायदाद गांगा पिता मोती डांगी लाला पिता मोती डांगी को नियमित हुई थी। उक्त भूमि नियमन होने के बाद विपक्षी सं. 1 के दादा लाल पिता मोती डांगी बतौर गैर खातेदारी हक से काबिज होकर भूमि को उपजाऊ व काश्त योग्य बनाई इस तरह 1/2 हक हिस्से की भूमि में विपक्षी सं. 1 खातेदारी हक से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि गांगा पिता मोती लाला पिता गांगा डांगी हैं। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि गांगा व लाला दोनो पिता पुत्र है वास्तविकता यह है कि नियमन आदेश में गांगा पिता मोती व लाला पिता मोती जो अंकित है वह दोनो अलग अलग व्यक्ति होकर वादग्रस्त जायदाद में 1/2 हिस्सा गांगा पिता मोती डांगी को तथा लाला पिता मोती डांगी को 1/2 हिस्सा आंवटित हुई हैं। प्रार्थी के पिता पुत्र का नाम एवं विपक्षी के पूर्वाधिकारी का नाम समान होने से भूमि को गलत तरीके से हडपने की नियत से कथित वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र गलत व झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जबकि आंवटन नियमों के अनुसार कोई भी भूमि आंवटित या नियमित होती है तो वह पुरे परिवार के लिए होती है एक ही परिवार में एक ही समय पिता पुत्र के नाम भूमि आंवटित नहीं हो सकती है। और यहां पर यह भी उल्लेखनीय है ि कइस वाद पत्र में लाला पिता गांगा डांगी के नाम से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है आंवटन के समय इसकी उम्र 10–12 वर्ष के लगभग भी ऐसी अवस्था में प्रार्थी लाला पिता गांगा डांगी को भूमि आंवटन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं।

17. वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा है तथा विपक्षी संख्या 1 का भी 1/2 हक हिस्सा होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर चले आ रहे है लाला पिता गांगा डांगी को कोई भूमि न तो आवं[illegible] हुई थी और न ही नियमित हुई थी। विपक्षी सं. 1 के नाम पर भूमि उसके [illegible] के निधन के बाद विधिवत तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरित हुई है। विपक्षी सं. 1 के नाम पर खोला गया नामान्तरकरण विधिक है तथा जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में विपक्षी सं. 1 के नाम पर वादग्रस्त भूमि का पृष्ठांकन किया गया हैं।

18. विपक्षी सं. 1 के नाम पर मौजा महाराज की खेडी का नामान्तरकरण संख्या विरासत के आधार पर खुलवाया जाना स्वीकार है। मौजा कुण्डाल तह. मावली में स्थित भूमि में लाला पिता मोती डांगी का 1/2 हक हिस्सा था तथा उसके निधन के बाद विपक्षी सं. 1 के नाम पर भूमि नामान्तरित हुई है तथा विपक्षी संख्या 1 जो कि 1/2 हक हिस्से की भूमि पर बतौर रेकार्डेड खातेदार होकर काश्त करता आ रहा हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा विधिवत् तरीके से भूमि अपने नाम पर नामान्तरित करवायी है तथा विधिवत् तरीके से मेवाड आंचलिग ग्रामीण बैंक द्वारा पुरी जांच पडताल करने के बाद विपक्षी सं. 1 को कृषि ऋण स्वीकृत किया। विपक्षी सं. 1 के नाम पर भूमि विधिवत् तरीके से ग्राम पंचायत खुले में नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाकर भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि नामान्तरित की है प्रार्थी ने सारे तथ्य झुठे एवं मनगढन्त अंकित किये हैं। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त जायदाद में 1/2 हक हिस्सा गांगा पिता मोती डांगी को नियत हुई थी तथा विपक्षी सं. 1 लाला पिता मोती डांगी को आंवटित हुई थी इसलिए प्रार्थी ने इतने वर्षों तक किसी तरह कि कोई उजर आपत्ति नहीं करी। प्रार्थी के मन में फितुर आ जाने से तथा जमीन के भाव बढ जाने से एवं आंवटन आदेश में लाला, गांगा पिता मोती डांगी अंकित होने से उसका गलत तरीके से अर्थ निकालते हुए अपने आपको पिता पुत्र वादग्रस्त भूमि आंवटित होना बताते हुए कथित वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमि लाला पिता मोती डांगी को 1/2 हक हिस्सा तथा 1/2 हक हिस्सा गांगा पिता मोती के नाम दर्ज हुई हैं। प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा ही है तथा विपक्षी सं. 1/2 हक हिस्सा होकर अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। इसलिए 1/2 हक हिस्से तक न तो प्रथम दृष्टया केश है तथा ना ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा क्षति भी प्रार्थी को न होने वाली हैं। इसलिए प्रार्थी न तो घोषणा कराने का अधिकारी है और न ही विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज व कब्जे काश्त की भूमि पर किसी तरह की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का कानुनी अधिकारी हैं।

19. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद में 1/2 हक एवं हिस्से की भूमि विपक्षी सं. 1 के पूर्वाधिकारी लाला पिता मोती डांगी को नियमित हुई थी तब से विपक्षी अपने पिता के समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हक हिस्से की भूमि का विपक्षी सं. 1 रेकार्डेड खातेदार होकर आधिपत्य धारी हैं। वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

जायदाद में विपक्षी सं. 1 के दादा/पिता के निधन के बाद विरासत के आधार पर तरीके से भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम नामान्तरित हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा तथा अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या व झुठे तथ्यों के आधार पर होने से चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी जिस दस्तावेज के आधार पर माननीय न्यायालय में आया है कथित दस्तोवज में गांगा, लाला पिता मोती डांगी आंवटित होना अंकित है इस तरह कथित आंवटन आदेश के अनुसार वादग्रस्त जायदाद गांगा पिता मोती लाला पिता मोती डांगी को आंवटित होना कथित दस्तावेज से स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है ऐसी अवस्था में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

20. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर आंवटन समय से ही वादीगण का कब्जा हैं। राजस्व रेकार्ड में गांगा, लाला पिता मोती दर्ज कर दिया गया है जबकि गांगा पिता मोती, लाला पिता गांगा डांगी अंकित होना चाहिए था। गांगा व लाला भाई नाम के कोई व्यक्ति नहीं होकर गांगा पिता व लाला पुत्र हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने बाबत् किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। इसलिए विपक्षी सं. 1 के विरूद्व प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया

21. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी लाला व विपक्षी सं. 2 उदी बाई के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से व विपक्षी सं. 1 देवीलाल के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा, विपक्षी सं. 1 के पिता लालु की मृत्यु होने पर विपक्षी सं. 1 द्वारा स्वयं को लालु का एकमात्र वारिस होना बताकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण भी अपने पक्ष में पारित करवा लिया गया जबकि विपक्षी सं. 1 के पिता का नाम लालु पिता मोती है एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम लाला पिता गांगा होकर दोनो अलग अलग व्यक्ति होना बताया। दस्तावेज के अवलोकन से विपक्षी सं. 1 के पिता लालु पिता मोती डांगी का स्वर्गवास दिनांक 30.04.92 होना जाहिर होता है जबकि प्रार्थीगण के पिता लाला पिता गांगा डांगी वाद दायरी के समय जीवित होकर मृत्यु दिनांक 24.12.2017 को होना जाहिर आया हैं। प्रार्थीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वादग्रस्त भूमि में गलत नामान्तरकरण पारित किया जाना बताकर पुनः भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर काश्त करने का कथन किया हैं। प्रकरण में दिनांक 15.07.2014 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है कि मौके पर उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद हो सकता हैं। विपक्षी सं. 1 जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती हैं साथ ही विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी व विपक्षी खातेदार है यदि मात्र विपक्षी सं. 1 को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी सं. 1 के साथ न्याय नहीं होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा की जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 की खाता संख्या 237 पर दर्ज आराजी नम्बर 2973, 2977, 2978 किता 3 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि की मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.25 10:29:12 IST
Reason: SelfAttested